न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 25/2024 बउनवानी डॉ. भूपेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कले. स0मा0 पुत्र श्री शेरसिंह यादव निवासी अल्कापुरी–ए,मुरलीपुरा जयपुर /उपजिला कलेक्टर,तहसीलदार खण्डार
GCMS No-2024/65

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं. हा अहलकार जो हुकम की तामील में जारी हुआ
6.9.2024	(see below)	

6.9.2024

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 27.3.2024 को लोक सूचना एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध करांये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. यह है कि न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के प्रकरण संख्या 39/2022 (हाल 30/2023) के पत्रांक प. कोर्ट/2022/1071 दिनांक 2.9.2022 जो तहसीलदार खण्डार को प्रेषित है। मय संलग्नक की प्रति। उक्त पत्र प्रशासनिक योग्य है।
2. यह है कि तहसीलदार खण्डार के कार्यालय मे प्राप्त उक्त न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 22/1071 दिनांक 2.9.2022 की प्राप्ति मय प्र0प्रति तथा उक्त पत्रांक 1071 दिनांक 2.9.2022 के संबंध में तहसीलदार खण्डार द्वारा की गयी कार्यवाही मय कार्यवाही विवरण की प्रति
3. यह है कि ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 823/544 रकबा 14.11 बीघा एवं 539 रकबा 3.17 बीघा मय आस पास के खसरा नम्बर 537 एवं 538 की तरमीम की प्र0प्रति (5प्रति मे)
4. यह है कि ख0न0 539 रकबा 3.17 बीघा मे से निकाली सेवती धर्मपुरी रोड के रकबा 0.02 बिस्वा एवं बटा नम्बर के संबंध में मिलान क्षेत्रफल एवं रिपोर्ट की प्र.प्रति।
5. यह है कि उक्त ख0न0 823/544,539 एवं 539/1, 853/544, 543/1 व 543/2 क्रमशः रकबा रकबा 1.01 बीघा एवं 1.04 बीघा, की जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 से 2078 से 2081 की प्रमाणित प्रति पडत सरकार एवं पडत पटवार की प्रमाणित प्रति।
6. यह है कि उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक राजस्व/अवैध बजरी खनन/2023/973 दिनांक 1.12.2023 की तहसील खण्डार द्वारा गठित टीम आदेश मय पटवारी दौलतपुरा के सुपुर्दगी मौका रिपोट बजरी दिनांक 4.12.2023 की प्रमाणित प्रति।
7. यह है कि प्रकरण संख्या 30/2023 (39/22) मे अजीत सिंह शेखावत के परिवाद दिनांक 19.11.2022 जो श्री सूरज सिंह नेगी अति0 जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर को प्रेषित है कि प्रमाणित प्रति।

(ए). यह है कि माननीय लोकायुक्त महोदय के प्रकरण विरूद्व श्री हेतराज मीना गिरदावर बहरावण्डा खुर्द द्वारा हल्का पटवारी दौलतपुरा के पद पर ख0न0 537 मे फर्जी बोर दर्शाने बाबत जॉच मे तहसीलदार खण्डार के पीए/एलआर/पत्रांक अगस्त ,2023 की पालना में 16 सितम्बर 2023 के करीब गिरदावर पाली श्री सरोज मीना एवं पटवारी दौलतपुरा श्री सत्येन्द्र बागोरिया द्वारा तैयार रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति तथा तहसीलदार द्वारा उपजिला कलेक्टर खण्डार को इस संबंध में प्रेषित रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति

8. यह है कि दिनांक 30.4.1997 को श्री राम सिंह यादव पुत्र श्री नित्यानन्द यादव द्वारा सर्व श्री सुरेश,परसुराम, प्रेम प्रकाश एवं सुमेर पुत्र श्री स्व. श्री परीजित यादव के पक्ष में ग्राम पंचायत क्यारदा के ख0न0 405/1 की उपंजीयक खण्डार के कार्यालय मे कार्यवाही रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति ।
9. यह है कि इसी प्रकार दिनाक 12.5.2012 को प्रत[illegible] सिंह [illegible] श्री औनार सिंह नि0 दौलतपुरा द्वारा अजीत पुत्र औनाड सिंह शेखावत के पक्ष में कराये गये रजिस्टर्ड विक्रय/दानपत्र की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.26 15:45:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(2)(37)सूकाअ/2024/670 दिनांक 1.7.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 27.3.2024 मे चाही गयी बिन्दु संख्या 1 लगायत 9 की सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 व 7 की सूचना प्रभारी अधिकारी कोर्ट अनुभाग एवं अति0 जिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर से संकलित कर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर के पत्रांक 501 दिनांक 14.5.2024 एवं पत्रांक 529 दिनांक 24.5.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खण्डार के जवाब नोटिस 1546–47 दिनांक 2.7.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि बिन्दु संख्या 3की सूचना पूर्व पत्रांक 4718 दिनांक 11.1.2024 एवं पत्रांक 4384 दिनांक 5.12.2023 से अपीलान्ट को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना पूर्व पत्रांक 4718 दिनांक 11.1.2024 से तथा बिन्दु संख्या 5 की सूचना पूर्व पत्रांक 3383 दिनांक 12.7.2023 से तथा बिन्दु संख्या 6 की सूचना पत्रांक/रीडर/2024/187/18.4.2024 से तथा बिन्दु संख्या 7 ए की सूचना पत्रांक 1541 दिनांक 2.7.2024 से अपीलान्ट को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 8 व 9 की सूचना पंजीयन से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देय नही है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 67 दिनांक 8.5.2024 से सूचित किया जा चुका है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र दिनांक 27.3.2024 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 815 दिनांक 23.5.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचनाऐ पूर्व प्रार्थना पत्रो पर आपको पूर्व मे ही उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.3.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना , लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 501 दिनांक 14.5.2024 एवं पत्रांक 529 दिनांक 24.5.2024 से जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 3,4,5,6,7ए, की सूचना तहसीदार खण्डार के पूर्व पत्रांक 4718 दिनांक 11.1.2024, 4384 दिनांक 5.12.2023, 3383 दिनांक 12.7.2023, 5238 दिनांक 14.2.2024 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है अथवा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। उक्त सभी बिन्दुओं की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 815 दिनांक 23.5.2024 से पुनः वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना कार्यालय मे उपलब्ध नही होने तथा बिन्दु संख्या 8,9 की सूचना पंजीयन से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत देय नही होने के कारण अपीलान्ट को तत्समय वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। तहसीलदार खण्डार के जवाब नोटिस के अनुसार अपीलान्ट द्वारा कई सूचनाऐ पूर्व मे प्राप्त कर लेने के उपरान्त भी पुनः वही सूचनाऐ चाही जा रही है जिससे अनावश्यक रूप से कार्यालय समय व संसाधनो का दुरूपयोग होता है। इसलिए अपीलान्ट को चाहिए कि वह एक ही विषयवस्तु की सूचनाऐ जो उसको पूर्व मे उपलब्ध करवायी जा चुकी है [illegible] को बार–बार प्राप्त करने हेतु आवेदन नही करे। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.26 15:45:56 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner